

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०- एम०- 35/2024

वाद का प्रकार- धारा- 126 भा०ना०सु०सं०

फूलो देवी वगै० -बनाम- पदरथ प्रसाद वगै०

12-12-2024

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०- 67/2024 एवं थाना प्रभारी, डुमरी थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०- 20/2024 दिनांक- 21.09.2024 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 126 तहत प्रास्तव प्राप्त है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका 1. फूलो देवी, पति स्व० महेश उर्फ महेश्वर साहु 2. मुन्ना प्रसाद, पे० स्व० महेश उर्फ महेश्वर साहु 3. मंजू देवी, पति मुन्ना प्रसाद सभी सा०- जैरागी, थाना- डुमरी, जिला- गुमला -बनाम- 1. पदरथ प्रसाद, पे०- स्व० महेश उर्फ महेश्वर 2. शीला देवी, पति पदरथ प्रसाद दोनों दम्पतियों सा०- जैरागी, थाना- डुमरी, जिला- गुमला उनके बीच जमीन विवाद के कारण उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति में न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। अंकनीय है कि संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायिक कार्यावधि के संपूर्ण काल में ना तो तथ्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया और ना ही Bond Down किया गया।

अतः प्रश्नगत मामला में संबंधित पक्षकारों के द्वारा न्यायालय में तथ्यों का पूर्ण प्रस्तुतीकरण नहीं करने एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 126 के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि पूर्ण होने कारण इस वाद की कार्यवाही इस हिदायत के साथ समाप्त की जाती है कि सभी संबंधित पक्षकार लोक परिशांति व विधि-व्यवस्था बनाए रखेंगे।

लेखापित एवं सशांधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

12/12/24